फैमिलीज़ ऑफ़ जॉय फाउंडेशन

एडॉप्शन की नयी सोच

CARA 2017 दिशानिर्देशों पर एक नज़र

इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं हैं:

- रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेना अब संभव है. रिश्तेदार से बच्चा गोद लेने पर माता पिता को आयु सीमा में छूट
- ▪ गोद लेने के लिए योग्यता की सीमा को 4 बच्चों से घटा कर 3 बच्चों तक सीमित कर दिया गया है। इसलिए, तीन या तीन से अधिक बच्चों के होने पे माता पिता एक औ बच्चा गोद नहीं ले सकते. ऐसे माता पिता केवल विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे, रिश्तेदार के बच्चे और इमीडियेट प्लेसमेंट श्रेणी के बच्चे ही गोद ले सकते हैं.
- गृह अध्ययन रिपोर्ट की वैधता 2 साल से बढ़ा कर 3 साल कर दी गई है।
- अपने वरिष्ठता के आधार पर माता-पिता को भेजे जाने वाले बच्चों की संख्या 6 से घटा कर 3 कर दी गई है.
- ▪ व्यवधान, विघटन और आदतन आवास से संबंधित नई शर्तों को शामिल किया गया है
- माता-पिता के पंजीकरण की वैधता दो साल की मौजूदा अवधि से बढ़ा कर 3 साल कर दी गई है
- भाई-बहनों या जुड़वा बच्चों के मामले में, विशिष्ट दत्तक एजेंसी कोर्ट में एक ही आवेदन फाइल करेगा
- ▪ अदालत इन-कैमरे में गोद लेने की कार्यवाही करेगी और उसे नियमित अवधि के भीतर मामला निपटाना होगा. साथ ही कोर्ट दत्तक माता-पिता को कोई बंधन, निवेश या राशि जमा करने का आदेश नहीं देगा.
- बच्चे के हितों की सुरक्षा के लिए गोद लेने की प्रक्रिया में व्यवधान या विघटन से संबंधित नियम बनाये गए हैं.
- माता-पिता को रजिस्ट्रेशन तिथि से साठ दिनों के भीतर राज्य की प्राथमिकता बदलने की अनुमति दी जाएगी
- सामान्य बच्चे के लिए पंजीकृत माता-पिता, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या बच्चों को गोद लेने में सक्षम होंगे
- अपने जन्म माता पिता को खोजने के आवेदन करने के लिए प्रावधान किया गया है
- 18 वर्ष से ऊपर बच्चे यह आवेदन स्वयं कर सकते हैं, जबकि अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने दत्तक माता पिता के साथ संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं